



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092026-276584
CG-DL-E-29092026-276584

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5010]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948

No. 5010]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2026

का.आ. 5217(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2917(E) तारीख 08/06/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में NH354 के कि.मी. 0 से कि.मी. 44.154 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 20/06/2026 को “द ट्रिब्यून”, 20/06/2026 को “जगबानी” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में NH354 के कि.मी. 0 से कि.मी. 44.154 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब			जिले का नाम: अमृतसर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अजनाला					
गांव का नाम: हर्षा छिना					
1	104//13/2 मिन	निजी	कृषि	0.0455	सतविंदर कौर पत्नी सुरिंदर सिंह पुत्र साधु सिंह 1/2 हिस्सा निशान सिंह पुत्र सुरिंदर सिंह पुत्र साधु सिंह 1/2 हिस्सा
2	104//13/3 मिन	निजी	कृषि	0.0025	सतविंदर कौर पत्नी सुरिंदर सिंह पुत्र साधु सिंह 1/2 हिस्सा निशान सिंह पुत्र सुरिंदर सिंह पुत्र साधु सिंह 1/2 हिस्सा
कुल योग				0.048	

[फा. सं. PD/PIU-JAL/Bharat Mala /234/2017/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2026

S.O. 5217(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2917(E) Dated:08/06/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH354 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 44.154 in the district of AMRITSAR in the state of PUNJAB

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Tribune” dated 20/06/2026 , “Jagbani” dated 20/06/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH354 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 44.154 in the district of AMRITSAR in the state of PUNJAB

State: PUNJAB			District: AMRITSAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ajnala					
Village: Harsha Chhina					
1	104//13/2 min	Private	Agriculture	0.0455	Satwinder Kaur wife Surinder Singh son Sadhu Singh 1/2 share Nishan Singh son Surinder Singh son Sadhu Singh 1/2 share
2	104//13/3 min	Private	Agriculture	0.0025	Satwinder Kaur wife Surinder Singh son Sadhu Singh 1/2 share Nishan Singh son Surinder Singh son Sadhu Singh 1/2 share
Total				0.048	

[F. No. PD/PIU-JAL/Bharat Mala /234/2017/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director